बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

अधिसूचना सं0–ई2–2–111/2010–43

अधिसूचना

सं0 ई2-2-111/2010-43/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः– (1) यह नियमावली 'बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम–12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:–

12 विभागीय परीक्षा एवं विषय। – राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा नियमावली –1961 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के लिए आवश्यकतानुसार निर्वाचन विभाग, बिहार के अनुरोध पर विभागीय परीक्षा का आयोजन/संचालन केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद), बिहार द्वारा किया जायेगा, जिसके विषय एवं पाठ्यक्रम निम्नवत् होंगे:–

(1) विषय – हिन्दी (लिखित परीक्षा–200 अंक, मौखिक परीक्षा–100 अंक)
पाठ्यक्रम – हिन्दी परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(2) विषय - लेखा (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम – लेखा (भाग–1) – पुस्तक रहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(3) विषय – लेखा (भाग–2) – पुस्तक सहित।
पाठ्यक्रम – लेखा (भाग–2) – पुस्तक सहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(4) विषय - दण्ड विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम - दंड विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(5) विषय – दण्ड विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित।
पाठ्यक्रम – दंड विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है/होगा।

(6) विषय – निर्वाचन विधि (भाग–1) – पुस्तक रहित।
पाठ्यक्रम –

(i) भारत का संविधान ।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* ।

(iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* ।

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 ।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* ।

(vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* ।

(vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* ।

(viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955* ।

(ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्यतन संशोधित) ।

(x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* ।

(xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* / परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* / निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* / निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* / भारतीय दंड संहिता 1860 / संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्शन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्शन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत।

(xiii) आयोग द्वारा समय-समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेश।

*टिप्पणी.– यथा अद्यतन संशोधित ।

(7) विषय – निर्वाचन विधि (भाग–2) – पुस्तक सहित।

<u>पाठ्यक्रम</u> –

(i) भारत का संविधान ।

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* ।

(iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* ।

(iv) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 ।

(v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951* ।

(vi) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961* ।

(vii) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968* ।

(viii) बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955* ।

(ix) बिहार संपत्ति का विरूपण (निवारण) अधिनियम, 1985 (यथा अद्यतन संशोधित) ।

(x) मोटर वाहन अधिनियम, 1988* ।

(xi) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950* / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960* / निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अधिनियम, 2002 और परिसीमन आदेश, 2007 / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951* / निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961* / निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968* / भारतीय दंड संहिता, 1860 / संसद (निरर्हता) अधिनियम, 1959 के विभिन्न पहलू ।

(xii) निर्वाची पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, अभ्यर्थियों की हस्तपुस्तिका, पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका, मतदान अभिकर्ताओं की हस्तपुस्तिका, मतगणना अभिकर्ता की हस्तपुस्तिका, इन्स्ट्रक्शन ऑन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग इन इलेक्शन्स (सभी अद्यतन) तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत।

(xiii) आयोग द्वारा समय-समय पर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कम्पेंडियम तथा आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध अन्य नीतिगत निदेश।

*टिप्पणीः- यथा अद्यतन संशोधित।

8. वैसे पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूर्व में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और सेवा में सम्पुष्ट कर दिये गये हों, इस नियम में यथा उपबंधित परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- ई2-2-111/2010- 7108 पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपिः- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- ई2-2-111/2010- 7108 पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके विभागीय पत्रांक 4088 दिनांक 09.10.2010 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (बिहार गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ दो हार्ड प्रतियों में सी0डी0 सहित)/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.2012
(आर0 के0 प्रसाद)
संयुक्त सचिव।